रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2616] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2013/अग्रहायण 1, 1935

No. 2616] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2013/AGRAHAYANA 1, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2013

का.आ. 3457(अ).—जबकि भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जिन्हें स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से शक्ति प्राप्त है, ने उक्त उप-धारा के अंतर्गत दिनांक 10-9-2013 की फा. सं. यू. 11011/04/2012-पीआईटीएनडीपीएस के अधीन निर्देश दिया था कि श्री पंकज कुमार शुक्ला, सुपुत्र श्री टी. एन. शुक्ला, गांव बाशारा, डाकखाना सोतीपुर, थाना वर्साथी, जौनपुर (उत्तर प्रदेश), को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार करने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें नजरबंद तथा केंद्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में हिरासत में रखा जाए ।

2. जबकि केंद्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उपर्युक्त व्यक्ति फरार है या अपने आपको छिपा रहा है जिसके कारण उक्त नजरबंदी के आदेश का पालन नहीं हो सका है ।

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त व्यक्ति सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर श्री राजेन्द्र वर्मा, आसूचना अधिकारी, अपर महा निदेशक का कार्यालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली जोनल यूनिट, बी-4, 6ठा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉप्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष पेश हो ।

[फा. सं. यू-11011/04/2012-पीआईटीएनडीपीएस]

विनेश पचनंदा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 20th November, 2013

S.O. 3457(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued under F. No. U - 11011/04/2012 – PITNDPS dated 10.09.2013 under the said sub-section directing that Shri Pankaj Kumar Shukla S/o Shri T.N. Shukla, resident of Village Bashara, Post Sotipur, PS Varsathi, Jaunpur (Uttar Pradesh), be detained and kept in custody in Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from engaging in illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the said detention order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub- section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before Shri Rajendra Verma, Intelligence Officer, O/o Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit, B-4, 6th Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi – 110 003 within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. U-11011/04/2012-PITNDPS]

VINESH PACHNANDA, Under Secy.

4945 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.